



पत्र सं०-एम-4-5/2022...5120.../वि०,

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक-...05/05/2025

विषय:- स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल 31.03.2025 के पश्चात विस्तारित नहीं करने के संबंध में ।

प्रसंग:- वित्त विभागीय संकल्प-12640 दिनांक 26.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों की समीक्षा के लिए वित्त विभागीय संकल्प सं०-9391 दिनांक 25.11.2019 द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्कीम स्क्रीनिंग समिति गठित की गई थी, जिसका कालान्तर में समय-समय पर अवधि विस्तार किया गया था ।

2. विभागीय संकल्प सं०-12640 दिनांक 26.11.2024 के आलोक में समिति की कार्य अवधि दिनांक-31.03.2025 तक के लिए विस्तारित की गयी थी । उक्त तिथि के उपरांत समिति का अवधि विस्तार नहीं किया गया है ।

3. कतिपय विभागों से इस संबंध में की जा रही पृच्छा के आलोक में सूचित करना है कि स्कीमों की स्वीकृति के सम्बंध में स्कीम स्क्रीनिंग समिति दिनांक 31.03.2025 के पश्चात् विस्तारित नहीं किया गया है ।

कृपया सूचनार्थ ।

विश्वासभाजन,

(आनन्द किशोर) ११५
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक:-एम-4-05/2022...5120.../वि०,

पटना, दिनांक...05/05/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक:-एम-4-05/2022...5120.../वि०,

पटना, दिनांक...05/05/2025

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव । ११५

ज्ञापांक:—एम-4-05/2022 5120/वि०,

पटना, दिनांक 05/05/2025

प्रतिलिपि:—माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

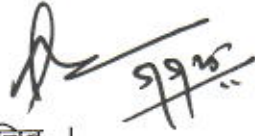


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक:—एम-4-05/2022 5120/वि०,

पटना, दिनांक 05/05/2025

प्रतिलिपि:—ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



प्रधान सचिव ।